

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपसहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

श्री. राज राम कौरा

वनाम विना

किस्म मुकदमा..... 09 R-04 CPC अधि. मुकदमा नम्बर..... 20 / 21

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01/03/21	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>चिन्मय शर्मा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>09 R-04 CPC</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26/03/21</u> को पेश हो।	
26/3/21	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर है। अतः इल्लवा होकर पत्रावली आइन्दा <u>27/3/21</u> को पेश हो।	
7/5/21	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर है। अतः इल्लवा होकर पत्रावली आइन्दा <u>27/5/21</u> को पेश हो।	
25/6/21	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर है। अतः इल्लवा होकर पत्रावली आइन्दा <u>27/7/21</u> को पेश हो।	
27/7/21	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्लवा होकर पत्रावली आइन्दा <u>27/9/21</u> को पेश हो।	

अ. कौरा
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

189 7/12
2/3/21




तारीख
हुक्म

२२/११/२१

पञ्जाब की राजधानी जाली में एक कर्मचारी
को एक न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव देकर उसे
पञ्जाब सरकार पर उपलब्ध वेतन का अनुमान
का अंदाजा के अनुसार किया। कमील जर्दीवाल
द्वारा उक्त कर्मचारी पर एक आदेश का
प्रस्ताव किया है दिनांक २६/१२/२०१२ के अन्तर्गत
के अन्तर्गत ४ वर्ष पहले जर्दीवाल का जर्दीवाल
पर कर्मचारी द्वारा १३१, १३६ रा० श० रा० कर्मचारी
का प्रस्ताव के अन्तर्गत के कर्मचारी द्वारा
नोट प्रेषित करार करवा दिया, जिसे एक प्रकार
के लिए ली। कमील जर्दीवाल द्वारा इस तरह
की प्रतिक्रिया को ही इलाके में साक्ष्य पञ्जाब के
साथ प्रस्तुत नहीं की है और न ही। इसके लिए
कर्मचारी के पास उक्त जर्दीवाल पर के समर्थन में
कोई ठोस कारण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत
किया है। अतः उक्त आदेश राजस्थान
शू-राजस्थान कर्मचारी का कर्मचारी का प्रस्ताव
१ दिनांक ५ अक्टूबर १९९१ CPC का प्रस्ताव है।
ज्याकि राजस्थान हाइल राजस्थान कर्मचारी की अर्द्ध-
के दिनांक २००८(२) RRT १३३८ जिला जिला -
०३ दिनांक २००८ (Sarbati Devi (smt.) & Ors vs
Murti Mandir Shri Ramkunjaji Maharaj & Ors) में
प्रदत्त किया है कि शू-राजस्थान कर्मचारी
तथा इसके अन्तर्गत नियमों के अन्तर्गत वारों, अपीलों,
निगरानियों, रिप्ल तथा कार्यवाही में सी. पी. सी. के
प्रवधान लागू नहीं होंगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर
जर्दीवाल का जर्दीवाल पर आदेश १ दिनांक ५ CPC
स्वीकार योग्य नहीं होने के अन्तर्गत कर करार
किया जाता है पञ्जाब। निर्णय सुनाए देकर
कार्यवाही दायर है।


उपसंहार अधिकारी गुडामालानी